कार्यालय श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर

निर्मल छाया भवन, मीरा दतार रोड, शंकर नगर, रायपुर

रायपुर, दिनाँक 6/02/2010

आदेश

क्रमांक/30/2010, बंधक श्रमिकों के पुर्नवास योजना के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा स्वीकृत आबंटन में से जिला जांजगीर–चांपा के 47 बंधक श्रमिकों के पुर्नवास हेतु प्रति श्रमिक रूपये 10,000/– के मान से (राज्यांश) राशि रूपये 4,70,000/– (रू. चार लाख सत्तर हजार मात्र) का आबंटन प्रदान किया जाता है।

उक्त राशि मांग संख्या–18, शीर्ष– 2230 – श्रम और रोजगार, (01)–श्रम (112) बंधुआ मजदूरों का पुर्नवास, 0701– केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य (2837) बंधक मजदूरों की पुर्नवास योजना के अंतर्गत विकलनीय होगा।

यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ.क्रमांक 16/29015/बी–1/4/2010, दिनांक 2.2.2010 द्वारा दी गई सहमति से जारी की जा रही है।

(श्रमायुक्त द्वारा अनुमोदित)

सहायक श्रमायुक्त(बंधक श्रम)
श्रमायुक्त कार्यालय रायपुर

पृ0क्रमांक/01/बं.श्र./ब.अ./2002/871 – 880 रायपुर, दिनांक 08/2/2010

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक एफ–1–15/2007/16, दिनांक 5.2.2010 के संदर्भ में सूचनार्थ।
3. महालेखाकार छत्तीसगढ़ रायपुर
4. संचालनालय, कोष लेखा एवं पेंशन रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. कलेक्टर, जांजगीर–चांपा की ओर प्रेषित कर लेख है कि यह राशि आहरण कर रूपये 10,000/– प्रति श्रमिक के मान से भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत बंधक श्रमिकों के पुर्नवास संबंधी कार्यवाही कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। केन्द्रांश की राशि प्राप्त होते ही उक्त उल्लेखित श्रमिकों के लिये रूपये 10,000/– प्रति श्रमिक के मान से राशि का आबंटन पृथक से जारी किया जावेगा।
6. कोषालय अधिकारी जांजगीर–चांपा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. श्रम पदाधिकारी, जांजगीर– चांपा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
8. लेखा शाखा (बजट) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. आदेश प्रकरण पत्रिका मे संकलनार्थ।

(सहायक श्रमायुक्त(बंधक श्रम)
श्रमायुक्त कार्यालय रायपुर